

हिन्दी प्रादेशिक समाचार

आकाशवाणी चंडीगढ़

(तिथि 02 अप्रैल 2025, समय 1810 (10 मिनट)

- वक्फ संशोधन विधेयक 2025 पर लोकसभा में चर्चा जारी।
- अल्पसंख्यक मामलों के मंत्री किरें रिजिजू ने कहा कि इस विधेयक का मुसलमानों की धार्मिक प्रथाओं से कोई लेना-देना नहीं है। श्री रिजिजू ने विपक्ष पर विधेयक को लेकर लोगों को गुमराह करने का आरोप लगाया।
- करनाल व पंचकूला के बुद्धिजीवियों और मुस्लिम समाज ने वक्फ संशोधन विधेयक का समर्थन किया।
- रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा है कि डेढ़ साल के भीतर सभी रेलवे स्टेशनों पर सीसीटीवी कैमरे लगेंगे।
- हरियाणा सहित देशभर में विश्व ऑटिज्म दिवस मनाया गया।

संयुक्त संसदीय समिति द्वारा रिपोर्ट किया वक्फ (संशोधन) विधेयक 2025, आज विचार और पारित करने के लिए लोकसभा में पेश किया गया। अल्पसंख्यक मामलों के मंत्री किरें रिजिजू ने विधेयक पेश करते हुए कहा कि इस विधेयक का मुसलमानों की धार्मिक प्रथाओं से कोई लेना-देना नहीं है। उन्होंने कहा कि यह केवल वक्फ बोर्डों से संबंधित संपत्तियों से जुड़ा है।

गवर्नमेंट किसी भी धार्मिक व्यवस्था को, किसी भी रिलीजियस इंस्टीट्यूशन कोई धार्मिक काम में हस्तक्षेप करने नहीं जा रही है, ना ही वक्फ बोर्ड किसी धार्मिक स्थापित व्यवस्था में कोई भी तरीके से हाथ डालने का प्रावधान है। बिल्कुल नहीं है, ये वक्फ बोर्ड का जो प्रावधान किसी मस्जिद, किसी मंदिर, किसी धार्मिक स्थल

का व्यवस्था का कोई लेना-देना नहीं है। ये सिंपली एक प्रॉपर्टी का मैनेजमेंट का व्यवस्था है।

श्री रिजिजू ने कहा कि यह कानून मस्जिद के प्रबंधन के लिए नहीं है। श्री रिजिजू ने कहा कि मौजूदा विधेयक के अनुसार, वक्फ बोर्ड में विभिन्न मुस्लिम संप्रदायों, महिलाओं और गैर-मुस्लिमों और अन्य लोगों का प्रतिनिधित्व होगा। उन्होंने विपक्ष पर विधेयक को लेकर लोगों को गुमराह करने का आरोप लगाया। उन्होंने कहा कि संयुक्त संसदीय समिति के साथ-साथ सरकार ने भी कानून बनाते समय हितधारकों के साथ व्यापक परामर्श किया था।

कुल मिलाकर के 97 लाख 27 थाउजेंड 772 याचिकाएं, ऑनलाइन, फिजिकल मेमोरेंडम के रूप में रिक्वेस्ट के रूप में और सुझाव के रूप में पूरे तरह से सरकार ने देखा है वो जेपीसी के माध्यम से हो या डाइरेक्ट दिया हो हमने सब उसको देखा है इससे बड़ा कभी भी इससे ज्यादा संख्या में किसी भी बिल के ऊपर में लोगों का याचिकाएं नहीं आया आज तक। कुल मिला कर के 284 डेलिगेशन में अलग-अलग समुदाय के जो स्टोक होल्डर्स हैं उन्होंने कमेटी के सामने में अपनी बात को रखा है सुझाव भी दिया है।

चर्चा की शुरुआत करते हुए कांग्रेस के गौरव गोगोई ने सरकार पर यह विधेयक लाकर लोगों को गुमराह करने का आरोप लगाया और कहा कि यह विधेयक संविधान के खिलाफ है।

ये बिल आज इस संविधान के इस जो मूल जो ढांचा है उस पर आक्रमण है और इनकी जो पूरा जो भाषण था वो हमारे संविधान के इस मौलिक अधिकार पर हमारे संघीय ढांचा था एक आक्रमण था।

इससे पहले, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने कहा कि यह विधेयक संयुक्त संसदीय समिति द्वारा विस्तृत विचार-विमर्श के बाद लाया गया है और इसे मंत्रिमंडल ने मंजूरी दे दी है।

भारत सरकार की कैबिनेट में इस बारे में एक बिल अप्रूव कर कर सदन के सामने रखा। आपके द्वारा ये बिल ज्वाइंट पार्लियामेंटी कमेटी को दिया जिसका विपक्ष का भी बड़ा आग्रह। कमेटी ने इस पर सुविचारित रूप से अपना मत प्रकट किया। वो जो मत प्रकट हुआ वो मत फिर से कैबिनेट के सामने गया। कमेटी के जो सुझाव थे वो भारत सरकार की कैबिनेट ने स्वीकार किए और अमेंडमेंट के रूप में किरन रिजिजू जी लेकर आए।

समाचार लिखे जाने तक विधेयक पर चर्चा जारी है। चर्चा के बाद विधेयक पारित करने के लिए मतदान होगा।

करनाल व पंचकूला के बुद्धिजीवियों और मुस्लिम समाज के वरिष्ठ लोगों ने वक्फ संशोधन विधेयक का समर्थन किया है। करनाल में मीडिया से बातचीत में हरियाणा हज कमेटी के पूर्व मीडिया समन्वयक खुशीद आलम ने कहा कि वक्फ विधेयक सिर्फ वो लोग परेशान हैं जो खुद वक्फ बोर्ड की सम्पत्ति पर कब्जा किए बैठे हैं। उन्होंने कहा कि यह बिल वक्फ संपत्तियों की सुरक्षा और प्रबंधन में सुधार करेगा। वहीं समाजसेवी ममनून खान ने कहा कि उन्हें पूरा यकीन है कि संशोधन के बाद वक्फ के काम में पारदर्शिता आएगी। पंचकूला में हरियाणा उर्दू अकादमी के पूर्व निदेशक एवं साहित्यकार शम्स तबरेज़ी ने भी इस विधेयक का समर्थन किया है।

देशभर में टोल शुल्क की दरों में चार से पांच प्रतिशत तक वृद्धि की गई हैं। भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण के अनुसार, इससे राजमार्गों के रख-रखाव और उनके विस्तार में मदद मिलेगी। कारों के लिए मासिक पास की दर 930 रुपये से बढ़ाकर 950 रुपये कर दी गई है। संशोधित दरें देशभर में एक्सप्रेस-वे और राष्ट्रीय राजमार्गों पर लागू होंगी।

प्रादेशिक सामाचार आकाशवाणी चंडीगढ़ से प्रसारित किए जा रहे हैं।

हमारे बुलेटिनों और ताज़ा समाचारों के लिए आप हमारी वेबसाइट newsonair.gov.in पर लॉग- इन कर सकते हैं।

यह समाचार हमारे यू- ट्यूब चैनल और एक्स हैंडल Akashvani News Chandigarh पर भी उपलब्ध हैं।

रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा है कि डेढ़ साल के भीतर सभी रेलवे स्टेशनों पर पर्याप्त संख्या में सीसीटीवी कैमरे लगेंगे। प्रश्नकाल के दौरान पूरक प्रश्नों का उत्तर देते हुए श्री वैष्णव ने कहा कि देश के विभिन्न हिस्सों में रेलवे स्टेशनों पर सीसीटीवी कैमरे लगाने का काम जारी है।

महिला सुरक्षा पर उन्होंने कहा कि भारतीय रेलवे ने महिलाओं की सुरक्षा के लिए कई कदम उठाए हैं। उन्होंने बताया कि हर डिवीजन, जोन और रेलवे बोर्ड में वॉर रूम भी बनाए गए हैं, जिनके जरिए स्टेशनों पर लगातार नजर रखी जा रही है। श्री वैष्णव ने बताया कि इस समय देश में 136 वंदे भारत रेलगाड़ियां चल रही हैं।

आज हरियाणा सहित देश भर में विश्व ऑटिज्म दिवस मनाया गया। इस दिवस का थीम है न्यूरो डायवर्सिटी। यानी यह बच्चे भी समाज का हिस्सा बन सकते हैं। इस उपलक्ष्य में पंचकूला के मनोरोग विभाग व डिस्ट्रिक्ट अर्ली इंटरवेंशन टीम द्वारा पंचकूला के नागरिक अस्पताल में कार्यक्रम का आयोजन किया गया। कार्यक्रम में हरियाणा स्वास्थ्य सेवाओं के निदेशक डॉ ब्रह्मदीप और प्रधान चिकित्सा अधिकारी डॉ आर एस चौहान सहित कई चिकित्सकों ने शिरकत की। हरियाणा स्वास्थ्य सेवाओं के निदेशक डॉ ब्रह्मदीप ने बताया-

श्री ब्रह्मदीप ने कहा कि आसान भाषा में कहें तो इस बीमारी से जुड़े व्यक्ति का दिमागी विकास अन्य की तुलना में कम होता है। इसमें व्यक्ति के व्यवहार, सोचने-समझने की क्षमता दूसरों से अलग होती है।

हरियाणा विधानसभा में आज राजधानी युवा संसद की ओर से हरियाणा युवा संवाद का आयोजन किया गया। इस दौरान कई युवा विद्यार्थियों ने सत्ता पक्ष की भूमिका निभाते हुए विधायकों के प्रश्नों के जवाब दिए। आज विधान सभा उपाध्यक्ष डॉ. कृष्ण मिड्डा ने युवाओं का उत्साहवर्धन करते हुए मार्गदर्शक की भूमिका निभाई। उन्होंने 'हरियाणा युवा संवाद' को दूरदर्शी, विचारोत्तेजक और नवाचारी प्रयोग बताया। उन्होंने कहा कि विधान सभा का यह सदन कोई साधारण मंच नहीं है। यहां संविधान, संवाद और संवेदना का संगम होता है।

कार्यक्रम को विधायक गीता भुक्कल ने भी संबोधित किया। उन्होंने कहा कि राजनीति सेवा का माध्यम है। उन्होंने कहा कि अच्छे युवाओं के राजनीति में आने से समाज में नेताओं के प्रति सोच में सकारात्मक बदलाव आएगा। कल विधान सभा अध्यक्ष हरविन्द्र कल्याण दो दिन तक चलने वाले इस कार्यक्रम की अध्यक्षता करेंगे।

फरीदाबाद जिला अदालत परिसर में आज एक वरिष्ठ अधिवक्ता श्री जे.पी. धनखड़ छठी मंजिल से गिरकर गंभीर रूप से घायल हो गए। घटना के तुरंत बाद उन्हें अस्पताल ले जाया गया, यहां इलाज के दौरान उनकी मृत्यु हो गई। यह ज्ञात नहीं है कि वो कैसे गिरे। पुलिस जांच में जुटी है और सीसीटीवी फुटेज की भी जांच की जा रही है।